न्यायालयः— नवम अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी (म.प्र.)

(समक्ष—श्रीमती सुशीला वर्मा)

Bail Application No-781/2026
CNR No.-MP2101012161-2026
Filling No.-9912/2026
Date of Institution-11-08-2026

वरूण नायक पिता सुरेन्द्र मोहन नायक,
उम्र—लगभग 30 वर्ष,
निवासी—ग्राम बिलहरी,
थाना—कुठला, जिला—कटनी (म.प्र.)

———आवेदक/आरोपी

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन, द्वारा
आरक्षी केंद्र—कुठला,
जिला—कटनी (म.प्र.)

———अनावेदक/अभियोगी

12-08-2026

आवेदक वरूण नायक की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित।

म.प्र. राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री शैलेन्द्र नागौत्रा उपस्थित।

आरक्षी केन्द्र—कुठला के अपराध क्रमांक—679/2026 अंतर्गत धारा—74, 75(2), 78(2), 79 एवं 351(3) बी.एन.एस. की केस डायरी मय प्रतिवेदन एवं संबंधित न्यायालय से रिमाण्ड पत्रावली अवलोकनार्थ प्राप्त।

प्रकरण आवेदक की ओर से धारा—483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र पर तर्क/सुनवाई हेतु नियत है।

आवेदक की ओर से प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—483 बी.एन.एस.एस. के साथ सुरेन्द्र मोहन नायक के शपथ—पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया गया है कि आवेदक उसका पुत्र है, आवेदक की ओर से यह प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र है, इस जमानत आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में अन्य कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निरस्त किया गया है।

उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से धारा–483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक जिला जेल कटनी में निरूद्ध है, आवेदक का उक्त अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, उसे झूठा फसाया गया है। जबकि प्रकरण की वास्तविकता यह है कि आवेदक दिनांक–24.07.26 को अवकाश लेकर एम. जी.एम. अस्पताल कटनी में अपने मित्र के भर्ती होने पर देखने गया था, उक्त दिनांक को फारेस्टर प्ले ग्राउंड में कुछ छात्र एवं अन्य लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वह बाहर निकला तब कुछ पत्रकार आवेदक से पूछने लगे, जिसका जवाब देकर आवेदक वहां से चला गया। दिनांक–30.07.26 को जब आवेदक स्कूल गया, तब उसे शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबन आदेश स्कूल में पदस्थ शिक्षिका श्रीमती रेखा तिवारी द्वारा दिया गया, तब आवेदक ने कहा कि किस बात का निलंबन आदेश है, तब रेखा तिवारी ने कहा कि आपने लोगों से कहा है कि मैं स्कूल में नकल कराती हूँ तथा कटनी जिले के स्कूलों में नकल कराने जाती है, इसी पर बात से रेखा तिवारी ने पुलिस से मिलकर आवेदक के विरूद्ध झूठा एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर आवेदक के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, आवेदक को पुलिस थाना कटनी द्वारा दिनांक–31.07.26 को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आवेदक को जमानत का लाभ प्रदाय करते हुए आवेदक के शरीर में आई चोटों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कटनी को पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। आवेदक दिंनाक–03. 08.26 को जमानत होने के उपरांत शासकीय नौकरी ज्वाईन करने ढीमरखेडा जा रहा था, वापस लौटने पर पुलिस थाना उमरियापान के पास थाना कुठला पुलिस द्वारा उसे रोका गया और उसके विरूद्ध झूठा और फर्जी अपराधों गिरफतार कर लिया गया। पुलिस थाना कुठला द्वारा अपराध क्र–663/26 में आवेदक को गिरफतार कर विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस. टी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष लगभग 05:30 बजे पेश किया गया, जहां से आवेदक को छोड दिया गया, आवेदक को जानबूझकर पुलिस थाना कुठला द्वारा झूठे एवं फर्जी तत्थों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आवेदक को अपराध क्र–661/26 में गिरफतार किया गया है बाकी के शेष अपराध क्र–679/26 एवं 663/26 में गिरफतार नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है, पुलिस थाना द्वारा न्यायदृष्टांत अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य एवं जरीना बेगम विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य में प्रतिपादित न्यायदृष्टांतों का पालन नहीं किया गया है, आवेदक फरियादिया को न तो जानता है न ही उससे कभी मुलाकात हुई है न ही आवेदक ने

फरियादिया के साथ किसी प्रकार की कोई छेडछाड की है, आवेदक बी.टेक है, वह पूर्व में एक्सचेन्जर कंपनी बाम्बे में मैनेजर के पद पर पदस्थ है, तत्पश्चात् वह शासकीय नौकरी में पदस्थ है, आवेदक पर आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय नहीं है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, आवेदक से किसी भी प्रकार की जप्ती होना शेष नहीं है, आवेदक जिला कटनी का स्थाई निवासी है, आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु सक्षम जमानत एवं स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने तैयार है। अतः न्यायालय की शर्तों के अधीन आवेदक/आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक को प्रतिभूति का लाभ दिए जाने का निवेदन किया है। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये है।

अभियोजन की ओर से मौखिक आपत्ति में प्रकट किया गया है कि आवेदक/आरोपी के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्तीय योग्य है।

उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार अभियोजन मामला इस प्रकार है कि फरियादिया/अभियोक्त्री ने दिनांक–03.08.2026 को थाना कुठला में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह मिशन चौक कटनी की रहने वाली है, वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्य ालय बिलहरी में तीन वर्ष से अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ है और पढाती है। उसी स्कूल में उसके साथ वरूण नायक भी टीचर है, वरूण नायक लगभग अप्रैल माह से उसका पीछा करता आ रहा है और उसे परेशान कर रहा है और आते जाते समय स्कूल में भी गंदे गंदे कमेंट करके उसे परेशान करता आ रहा है और स्कूल में उसके साथ गंदी गंदी बाते करता है। उसने कई बार वरूण नायक को मना किया लेकिन वरूण नायक नही ं माना। इसी बीच वरूण नायक ने उसके मोबाईल नंबर 9165656666 एवं 8278662925 से उसे कई बार फोन किया, उसने उसे फोन करने से मना किया, तो वह व्हाटस पर कई बार मैसेज करके बात करने के लिए दबाव बनाया। उसके कई बार मना करने पर भी वह लगातार उसे फोन तथा मैसेज करके परेशान करता आ रहा है। जुलाई माह की बात है उसे तारीख याद नहीं है, वह स्कूल के लेब में थी तभी वरूण नायक लेब के अंदर आया और गंदी नियत से उसका हाथ पकडकर उसे गंदी गंदी हरकते करने लगा और यहां वहां हाथ लगाने लगा, वह हाथ छोडने के लिए बोली तो उसे गंदी नियत से अपने पास खींचकर उसे टच करने लगा और उससे बोलने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूॅ, तू

अपने पति व बच्चों को छोड दे मेरे साथ शादी कर ले और उसे बार बार बोल रहा था कि मुझसे फोन पर बात किया कर और अपने पति को छोड दे नहीं तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा, जिसके बाद वह अपना हाथ छुडाकर लेब के बार आ गई। फिर उसने दिनांक–16.07.26 को सारी बात अपने पति शेख हसीब को बताई थी, लेकिन लोक लज्जा के कारण उसने रिपोर्ट करने से मना कर दिया, फिर आज रिपोर्ट करने आई है, रिपोर्ट कर कार्यवाही की जाये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केंद्र–कुठला के द्वारा आवेदक/आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र–679/26 पर धारा–74, 75(2), 78(2), 79 एवं 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि आरक्षी केंद्र–कुठला पर आवेदक/आरोपी के विरूद्ध धारा–74, 75(2), 78(2), 79 एवं 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आवेदक/आरोपी के द्वारा फरियादी/अभियोक्त्री का पीछा कर उसके साथ छेडछाड करने एवं गाली गलौच कर उसे जान से मारने की धमकी देना बताया जा रहा है। आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपराध क्र–661/26 में दिनांक–31.07.26, 03.08.26 को न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही तथा उक्त प्रकरण में आवेदक/आरोपी को आई चोट के संबंध में मेडिकल परीक्षण कराये जाने हेतु दिये गये निर्देश तथा मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज पेश किये गये है।

केस डायरी के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि आवेदक/आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र–803/21, 663/26 एवं 661/26 से संबंधित आपराधिक रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है। अपराध क्र–661/26 एवं 663/26 दिनांक–30.07.26 को हुई घटना से संबंधित है। आवेदक/आरोपी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलहरी से निलंबित शिक्षक है तथा अभियोक्त्री इसी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ है।

आवेदक/आरोपी दिनांक–10.08.26 से लंबित प्रकरण में अभिरक्षा में है। आवेदक/आरोपी के विरूद्ध समान प्रकृति का अन्य कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। धारा–74, 75 एवं 78 बी.एन.एस. का अपराध 07 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज एवं केस डायरी में वर्णित तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुणदोष पर विचार न करते हुए आवेदक/आरोपी को प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/आरोपी की ओर से धारा–483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/आरोपी की ओर से निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य राशि **30,000/– (तीस हजार) रूपये** की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका पेश किया जाए तो **आवेदक/आरोपी वरूण नायक** को इस प्रकरण में प्रतिभूति पर रिहा किया जावे।

शर्ते :–

1. आवेदक/आरोपी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
2. आवेदक/आरोपी विचारण के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक/आरोपी विचारण के दौरान अभियोजन साक्षीगण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करेगा।
4. आवेदक/आरोपी उक्त अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा।

आदेश की प्रति सहित रिमाण्ड पत्रावली संबंधित न्यायालय को वापस की जावे।

केस डायरी संबंधित आरक्षी केंद्र को आदेश की प्रति सहित वापस प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(श्रीमती सुशीला वर्मा)
नवम अपर सत्र न्यायाधीश, कटनी,
जिला–कटनी (म.प्र.)

SUSHILA VERMA
Digitally signed by SUSHILA VERMA
Date: 2026.08.12 17:54:37 +0530